संख्या–1018(1)/26–3–2012–9(82)/2000

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति आयोग,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 16 अगस्त, 2012

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–80 की आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं हेतु आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012, जो समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अधीन अनुदान संख्या–80 में आयोजनेत्तर पक्ष की योजना अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के अंतर्गत शासनादेश संख्या–1018/26–3–2012, दिनांक 03.05.2012 के कम में चालू कार्यकमों पर व्यय किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि में से पूर्व में लेखानुदान के अनुसार स्वीकृत धनराशि को घटाते हुए रू0 59,60,000/– (रूपये उनसठ लाख साठ हजार मात्र)की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अनुदान संख्या–80 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक/योजना/मद का नाम	आय–व्ययक प्राविधान 2012–13	लेखानुदान के अनुसार स्वीकृत धनराशि 2012–13	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2012–13
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–			
07– अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग–			
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)–	7500	2500	1250
31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)–	28261	9420	4710
कुल योग	35761	11920	5960

(रूपये उनसठ लाख साठ हजार मात्र)

(1) वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–1515/दस–2012–231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेंसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर

ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय—समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा—88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष 2012—13 के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये। इन मदों में बचत तथा अनुदान के उपयोग की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत अनुदान पर अनुदान नियमावली में उल्लिखित नियम लागू होगें।

(2) उपर्युक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2011—12 एवं वित्तीय वर्ष 2012—13 में पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2— उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—80 के लेखाशीर्षक—2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण—आयोजनेत्तर—01—अनुसूचित जातियों का कल्याण—800—अन्य व्यय—07—अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग—20—सहायता अनुदान—सामान्य(गैर वेतन)— एवं 31—सहायता अनुदान—सामान्य(वेतन) के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त(आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 बी—1—1515/दस—2012—231/2012, दिनांक 09 जुलाई, 2012 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा—निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0 बी0 सिंह)
विशेष सचिव

संख्या—1018(2)/26—3—2012 तद्दिनांक—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3— कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4— निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
5— अध्यक्ष, उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—3/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1
7— निदेशक एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8— सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(एन0 एच0 रिजवी)
उप सचिव